

उत्तर प्रदेश शासन  
 स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,  
 संख्या-9/2023/319/94-स्टानोनी-0-2-2023  
 लखनऊ: दिनांक-12 अप्रैल, 2023

### अधिसूचना

#### आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ नई इकाई/पार्क की स्थापना हेतु नीचे सारणी के स्तम्भ-4 में यथा दर्शित लिखत के सम्बन्ध में पूर्वोक्त नीति के प्रस्तर-9.1.2, 9.2.2, 9.3.2, 9.6 के अनुसार स्तम्भ-3 में यथा उल्लिखित सीमा तक स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती है:-

उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, 2022, का प्रस्तर	प्रयोजन	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति
100	2	3	4
9.1.2	क्रय की गयी अथवा पट्टे पर ली गयी भूमि (न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि हेतु) पर स्टाम्प शुल्क में छूट निम्नलिखित दरों पर प्रदान की जायेगी-  बुन्देलखण्ड एवं पूर्वाञ्चल क्षेत्र तथा ताज ट्रैपेजियम जोन से आच्छादित क्षेत्र	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-23 के खण्ड-(क) तथा अनुच्छेद 35 के अधीन हस्तान्तरण पट्टे की लिखत पर
	मध्याञ्चल एवं पश्चिमाञ्चल (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़ कर)	75%	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	में छूट गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद में छूट	50%	
9.2.2	राज्य में कहीं भी आईसीडी/सीएफएस/ एएफएस परियोजना स्थापित करने हेतु क्रय की गयी अथवा पट्टे पर ली गयी भूमि (न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि हेतु) पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी।	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-23 के खण्ड-(क) तथा अनुच्छेद 35 के अधीन हस्तान्तरण पट्टे की लिखत पर
9.3.2	राज्य में कहीं भी लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु क्रय की गयी अथवा पट्टे पर ली गयी भूमि (न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि हेतु) पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी।	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-23 के खण्ड-(क) तथा अनुच्छेद 35 के अधीन हस्तान्तरण के लिखत पर
9.6	राज्य में कहीं भी ट्रकर्स पार्क की स्थापना हेतु स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी। ऐसी छूट, किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण द्वारा क्रय की गयी अथवा आवंटित भूमि पर प्रदान की जायेगी।	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-23 के खण्ड-(क) तथा अनुच्छेद 35 के अधीन हस्तान्तरण के लिखत पर

इस अधिसूचना के अधीन पूर्वालिखित छूट निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है-

1-जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, उद्योग को हस्तान्तरण/पट्टा लिखत की पुष्टि करनी होगी कि विलेख, उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, 2022 के अधीन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

निष्पादित किया जा रहा है और उसे उक्त प्रयोजनार्थ साक्षी के रूप में भी हस्ताक्षर करना होगा।

2-किसी अन्य नीति के अधीन स्टाम्प शुल्क छूट की प्रसुविधा प्राप्त कर चुकी इकाई इस नीति और अधिसूचना के अधीन स्टाम्प शुल्क माफी/छूट के लिए पात्र नहीं होगी।

3-अधिसूचित उपबंधों का क्रियान्वयन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा जारी विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।

4-उक्त अधिसूचना में उल्लिखित उपबन्ध, प्रशासकीय विभाग (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग) द्वारा नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश के दिनांक से प्रभावी माने जायेंगे।

**स्पष्टीकरण-** इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए-

"पूर्वांचल" में प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या तथा देवीपाटन राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे। "मध्यांचल" में लखनऊ एवं कानपुर राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे। "बुन्देलखण्ड" में चित्रकूट धाम एवं झांसी राजस्व मण्डल सम्मिलित होंगे। "पश्चिमांचल" में आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़कर), सहारनपुर और बरेली मण्डल सम्मिलित होंगे।

आज्ञा से,

लीना जौहरी  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 9/2023/319/94-स्टाम्पनि0-2-2023, दिनांक: 12 अप्रैल, 2023

हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक अप्रैल, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, 30प्र० लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता  
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**संख्या: 9/2023/319/94-स्टानिकी-0-2-2023, दिनांक: 12 अप्रैल, 2023**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।
- 4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश कानपुर।
- 7- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 9- महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 11- समस्त अपर जिलाधिकारी, (विधायिका/राज्यपाल) पदेन जिला निबंधक, उत्तर प्रदेश।
- 12- समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त उद्योग, उत्तर प्रदेश।
- 13- समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
- 14- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन/जनपदीय उपायुक्त उद्योग, उत्तर प्रदेश।
- 15- विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
- 16- भाषा अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह

अनु सचिव,  
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**UTTAR PRADESH SHASAN**  
**STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2**

In pursuance of the provisions of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 9/2023/319/94-S.R.-2-2023, dated 12 April, 2023

Notification

Order

No. 9/2023/319/94-S.R.-2-2023

Lucknow, dated 12 April, 2023

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act ,1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time, in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act,1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, is pleased to remit the Stamp Duty, for establishing new unit/park under the Uttar Pradesh Warehousing and Logistics Policy, 2022, in accordance with the Para 9.1.2, 9.2.2, 9.3.2 & 9.6 of the aforesaid Policy for the purposes specified therein, to the limit as mentioned in column 3 of the table below in relation to the Instrument as shown in column 4

<b>Para of UP Warehousing &amp; Logistics Policy 2022</b>	<b>Purpose</b>	<b>Exemption Limit</b>	<b>Nature of Instrument</b>			
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>9.1.2</b>	Exemption of Stamp duty on land purchased or taken on lease (for a period of atleast 10years) shall be provided at following rates:  • Bundelkhand and Poorvanchal region and region covered under 'Taj Trapezium Zone'  • exemption in Madhyanchal and Paschimanchal (except Gautambuddha Nagar & Ghaziabad)  • exemption in Gautambuddha Nagar & Ghaziabad	100%  75 %  50%				On the instrument of conveyance under Clause (a) of Article 23 & Article 35 of Schedule 1(b) of the Indian Stamp Act, 1899
<b>9.2.2</b>	Exemption of Stamp Duty shall be provided on land purchased or taken on lease (for a period of atleast 10years) for setting up ICD/ CFS/ AFS project anywhere in the State	100%				On the instrument of conveyance under Clause (a) of Article 23 & Article 35 of Schedule 1(b) of the Indian Stamp Act, 1899
<b>9.3.2</b>	Exemption of Stamp Duty shall be provided on land purchased or taken on lease (for a period of atleast 10years) for setting up Logistics Park anywhere in the State	100%				On the instrument of conveyance under Clause (a) of Article 23 & Article 35 of Schedule 1(b) of the Indian Stamp Act, 1899

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

9.6	<p>Exemption of Stamp Duty shall be provided for setting up such Truckers Parks anywhere in the State.</p> <p>Such exemption will be provided on purchase of land as well as on allotment done by any Industrial Development Authorities or Development Authorities.</p>	100%	<p>On the instrument of conveyance under Clause (a) of Article 23 &amp; Article 35 of Schedule 1(b) of the Indian Stamp Act, 1899</p>
-----	--	------	---

The aforementioned exemption under this notification is subject to the following prohibitions /conditions:

- 1-The District Magistrate/ Deputy Commissioner of Industries shall confirm in the Instrument of conveyance/ Lease that the deed is being executed under the **Uttar Pradesh Warehousing and Logistics Policy ,2022** and also signs as a witness for the said purpose.
- 2- The unit which has obtained the benefit of stamp duty exemption under any other policy shall not be eligible for a stamp duty remittance/ exemption under this policy and notification.
- 3-The implementation of the notified provisions shall be done according to the extant procedural guidelines issued by the Stamp and Registration Department.
- 4- The provisions mentioned in the above notification will be considered effective from the date of the Government order issued by the Administrative Department (Industrial Development Department) regarding the implementation of the policy.

**Explanation- For the purpose of this notification.-**

"**Purvanchal**" shall include the revenue divisions of Prayagraj, Varanasi, Mirzapur, Azamgarh, Basti Gorakhpur, Ayodhya and Devipatan. "**Madhyanchal**" shall include the revenue divisions of Lucknow and Kanpur and the "**Bundelkhand**" shall include the revenue divisions of Chitrakoot Dham and Jhansi. The revenue divisions of Agra, Aligarh, Moradabad, Saharanpur, Bareily & Meerut (except Gautam Budh Nagar and Ghaziabad districts) is included in "**Pashimanchal**"

**By order,**

**Leena Johri  
Principal Secretary**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।